महंगाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार महंगाई में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दैनिक वेतन पर काम करने वाले सभी मजदूरों के वेतनमानों में संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) :

(क) से (ग) न तो दिल्ली प्रशासन द्वारा दैनिक मजदूरी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में, और न ही केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत दैनिक मजदूरी पर नियोजित अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी में कोई अलग महंगाई भत्ता है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वे दो साल में एक बार, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंटों की वृद्धि पर, जो पहले हो, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करें । दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में पिछले बार अक्तूबर, 1985 में संशोधन किया गया था ।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी में और संशोधन करने का एक प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ।

कृषि वस्तुओं का निर्यात

1541. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पर आधारित वस्तुओं अर्थात चाय, काफी, काजू, मसाले, फल तथा सब्जियों, संसाधित खाद्य पदार्थों और समुद्री उत्पादों के निर्यात की मीट्री टनों तथा रुपयों के संदर्भ में गत तीन वर्षों की स्थिति क्या है ;

(ख) इन वस्तुओं की भावी निर्यात संभावनाएं क्या हैं और इनका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) 1987 में आयोजित की गई 'आहार' नामक प्रदर्शनी की सफलता के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) इन मदों के निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**

(ख) इन मदों की भावी निर्यात सम्भाव्यता उपलब्ध निर्यात योग्य देशों पर निर्भर होती है जो घरेलू उत्पादन और खपत पर निर्भर होती है । विशेषत: चाय, काफी, फलों व सब्जियों, संसाधित खाद्य पदार्थों तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात की अच्छी सम्भावना है । संसाधित खाद्य पदार्थों तथा समुद्री उत्पादों के विकास के लिए थ्रस्ट क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया है क्योंकि इनमें वृद्धि की काफी सम्भाव्यता है ।

इन मदों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं । इनमें शामिल है : चाय की थैलियों पर उत्पादन शुल्क की छूट, चाय की थैलियों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले फिल्टर कागज पर सीमा शुल्क को समाप्त करना, तथा पैकेट चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क की छूट । भारतीय मूल्य वर्जित चायों के ब्रांड संवर्धन के लिए मध्य-पूर्व में एक प्रायोगित परियोजना शुरू की गई है । काफी के संबंध में, अब कच्ची काफी के निर्यात पर बिक्री कर से छूट है तथा इस्टेट काफी के निर्यात पर 8 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता दी जाती है । काफी के निर्यात को बढ़ाने के उपाय के रूप में काफी बोर्ड विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है ।

संसाधित खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में सवर्धनात्मक उपायों में शामिल है : अन्त-र्निविष्ट साधनों जैसे कच्चा माल तथा पैकिंग सामग्री के शुल्कमुक्त आयात की

अनुमति, वापस न होने वाले कर अंश के संबंध में राहत प्रदान करने के लिए नकद मुआवजा सहायता आदि।

समुद्री निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यमों के संबंध में हाल में एक नई नीति की घोषणा की गई है। झींगा पालन का संवर्धन करके तथा झींगा अंडज उत्पत्ति शालाओं की स्थापना करके झींगा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

(ग) 25 जनवरी से 3 फरवरी 1987 तक 'आहार' 1987 प्रदर्शनी आयोजित की गई। भाग लेने वालों की रिपोर्टों के आधार पर प्रदर्शनी से मुख्यतः खाद्य उत्पाद, खाद्य पदार्थ प्रोसेसिंग तथा खाद्य पदार्थ पैकेजिंग मशीनरी के संबंध में 139.46 करोड़ रु० के व्यापार का सृजन हुआ है।

विवरण

(मात्रा एम० टी० में)
(मूल्य : करोड़ रु० में)

	1983-84		1984-85		1985-86	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. चाय (एस किग्रा)	201.31	557.55	217.40	771.39	222.92	674.25
2. काफी	77,179	175.05	68,896	209.69	99,298	274.98
3. काजू	36,196	148.28	32,407	180.37	37,333	217.00
4. मसाले	85,834	111.16	89,165	209.02	74,500	282.52
5. समुद्री उत्पाद	92,691	373.02	86,187	384.29	83,651	398.00
6. ताजे फल तथा सब्जियां, प्याज को छोड़ कर	47,724	32.84	40,439	34.97	49,125	40.87
7. संसाधित तथा परिरक्षित फल तथा सब्जियां	38,351	36.98	60,767	56.80	65,043	58.28
8. अन्य संसाधित खाद्य पदार्थ	—	38.99	—	65.85	—	58.94

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिये जाने में अनियमितताएं

1542. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुंगेर जिला बरियारपुर क्षेत्र के मुकसल पुलिस थाना के अन्तर्गत आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित जो आवेदन पत्र और सांसदों के माध्यम से जो दर्जनों पत्र भेजे जाते हैं उन्हें इस टिप्पणी के साथ रद्द कर दिया जाता है कि जी. आर. पी. संख्या 2480/42 में, जो कि वहां उपलब्ध है, उन लोगों का नाम नहीं है जबकि मुंगेर जिला के जिलाधीश ने बार-बार यह लिखकर भेजा है कि वहां कोई कागजात और यहां तक कि जी. आर. पी. संख्या 2480/42 भी उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) क्या यह सच है कि मुंगेर जिले में वे संबद्ध कागजात उपलब्ध नहीं है जिनके आधार पर कुछ लोगों को पेंशन मिली है और कुछ लोगों को पेंशन पुनः स्वीकृत की गई है तथा कुछ अन्य